

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक:- एफ.11(3)(10)मो./ICDS/2016-17 173703-735 जयपुर, दिनांक:
उप निदेशक, 27-9-18
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय:- आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन समय परिवर्तन करने के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन समय एवं पर्यवेक्षकों का कार्य करने का समय निम्न प्रकार है:-

शरदकाल	(1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक)	10:00 बजे से 2:00 बजे तक (4 घण्टे)
--------	--------------------------------------	------------------------------------


आंगनबाड़ी सहायिका केंद्र पर निर्धारित समय से आधा घण्टा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 15 मिनट पूर्व आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित होगी है। साथ ही पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के बाद 2 घण्टे प्रतिदिन गृह सम्पर्क कार्य करेगी।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.11(3)(10)मो./ICDS/2016-17 173736-4120 जयपुर, दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है- 27-9-18

1. विशिष्ट सहायक, माननीय महिला एवं बाल विकास विभाग राज्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारीगण।
8. एंगलिस्ट-कम-प्रोग्रामर को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर